

वर्गीय कार्रवाई मुकदमे के प्रस्तावित निपटारा की सूचना

ध्यान दें - सभी नियोग्य लोग, जैसा कि अमेरिकन्स विथ डिसएबिलिटीज़ एक्ट द्वारा परिभाषित किया गया है, जो लॉस एन्जिल्स सिटी में रहते हैं और लॉस एन्जिल्स सिटी द्वारा सेवा किये जाने वाले क्षेत्राधिकार में रहते हैं और लॉस एन्जिल्स काउंटी के आपातकालीन तत्परता कार्यक्रमों और सेवाओं के अधीन हैं ।

वर्गीय कार्रवाई का नोटिस

इस नोटिस का उद्देश्य आपको लम्बित वर्गीय कार्रवाई के मुकदमे में प्रस्तावित निपटारे के बारे में सूचित करना है जो कि उन नियोग्य लोगों की ओर से पेश किया जा रहा है जो लॉस एन्जिल्स सिटी में रहते हैं और लॉस एन्जिल्स सिटी द्वारा सेवा किये जाने वाले क्षेत्राधिकार में रहते हैं और लॉस एन्जिल्स काउंटी के आपातकालीन तत्परता कार्यक्रमों और सेवाओं के अधीन हैं। यह वर्गीय कार्रवाई निपटारा (निपटारा समझौता), जिसका अदालत द्वारा अनुमोदित किया जाना जरूरी है, जो लॉस एन्जिल्स के मुकदमे के संबंध में पहुँचाए गए, *Communities Actively Living Independent and Free, et al. v. City and County of Los Angeles, Cal.* केस मुकदमा क्र. सी. व्ही. 09-0287 CBM (RZx). मुकदमा 2009 में किया गया था जो आरोप करता है कि लॉस एन्जिल्स काउंटी और शहर नियोग्य लोगों की जरूरतों और आपात काल योजनाएं न देखे हुए उनके साथ पक्षपात करती हैं । लॉस एन्जिल्स काउंटी किसी भी दायित्व और गलत कामों से इन्कार करता है। यह निपटारा सिर्फ लॉस एन्जिल्स काउंटी को ही मानता है। लॉस एन्जिल्स के शहर इस निपटारा समझौता का हिस्सा नहीं हैं। यह न्यायालय के अलग आज्ञा का हिस्सा है।

निपटारा वर्ग की व्याख्या

अगर आप नियोग्य व्यक्ति हैं और लॉस एन्जिल्स शहर में हैं, इस शहर के क्षेत्राधिकार में हैं, और लॉस एन्जिल्स आपातकाल तत्परता कार्यक्रम सेवा में हैं तो आप प्रस्तावित निपटारा वर्ग के सदस्य हैं जो इस मुकदमे से प्रभावित हैं। कृपया यह सूचना ध्यानपूर्वक पढ़िए क्योंकि आपके अधिकार पर इसका असर होगा।

प्रस्तावित निपटारा समझौता करारनामे का सारांश

इस निपटारा का हिस्सा होने के कारण काउंटी ने अपनी आपातकाल योजना में नियोग्य लोगों की जरूरतों की तरफ कुछ कदम बढ़ाए हैं या बढ़ाएगी।

निर्योग्यता और ए एफ एन संलग्नक

काउंटी ने निर्योग्यता क्या है और प्रवेश और कार्यात्मक जरूरतों के बारे में कुछ तैयार किया है। यह लॉस एन्जिल्स काउंटी के परिचालन क्षेत्र आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना के लिए एक संलग्नक है। निर्योग्यता और ए एफ एन संलग्नक का काउंटी के आपातकाल तत्परता योजना के हिस्से में इस्तेमाल किया जाता है। निर्योग्यता और ए एफ एन संलग्नक समीक्षात्मक मुद्दों की तरफ ध्यान देता है जैसे निर्योग्य लोगों की दुर्घटना संबंधित जरूरतें, पुरी निर्योग्यता की विस्तृत श्रेणी जो मर्यादित न हो, गतिशीलता निर्योग्यता, संवेदक निर्योग्यता बौद्धिक निर्योग्यता और दिमागी स्थितियाँ और काउंटी की आपातकाल योजनाओं का वर्णन करते हैं - जो निर्योग्य लोगों की जरूरतों का आपातकालीन योजना में विचार करते हैं।

जैसे की निर्योग्यता और ए एफ एन संलग्नक में, यह व्याख्या है कि आपातकालीन सार्वजनिक अधिसूचना के उद्देश्य से, काउंटी यह सुनिश्चित करता है की निर्योग्यता लोक अधिसूचना के बारे में जानते हों और काउंटी अनेक तरह के सुगम संचार साधनों को इस्तेमाल करेगी। संलग्नक के अंतर्गत काउंटी अनेक ऐसे कार्यक्रमों में संलग्न रहेगी जो निष्क्रमण और आपातकाल कार्यक्रमों दैशन सुगम परिवहन के साधनों की संख्या को सुनिश्चित करता है। काउंटी विक्रेताओं, अन्य विभागों और संस्थाओं के साथ संयोजन करना चालू रखता है ताकी वह सुनिश्चित कर सके कि आवश्यक आश्रय संसाधन सुरक्षित रहें। अंत में संलग्नक निर्योग्य लोगों की योजनाएँ जारी रखने और उनके प्रवेश और कार्यात्मक जरूरतें सुनिश्चित करती है। उपर जिनके बारे में चर्चा की गई है वह सिर्फ इस संलग्नक के मुद्दों को दर्शाता है। वर्तमान निर्योग्यता और ए एफ एन संलग्नक जो निपटारा समझौता करारनामे से जुड़ी है वह प्रारूप के रूप में है और निपटारा का हिस्सा है वह नीचे बताई गई कार्य योजना के आधार पर काम करता रहेगा ।

भले ही निर्योग्यता और ए एफ एन संलग्नक, आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना से एक अलग दस्तावेज़ के रूप में विकसित हुआ है, काउंटी निपटारे के भाग के तौर पर इस पर सहमत हो गई है कि निर्योग्यता, प्रवेश और कार्यात्मक जरूरतों के मुद्दों को देश भर में काउंटी के आपातकाल योजना में लिया जाएगा।

कार्य योजना का विकास

निर्योग्यता और ए एफ एन संलग्नक के विकास में देखा गया कि ऐसे कई मुद्दों हैं जिनको अधिक संलग्नक के विकास की आवश्यकता है। अधिक काम की आवश्यकता है जो इस संलग्नक और निर्योग्यता को अंतिम रूप दे सके। निपटारा का हिस्सा होने के कारण काउंटी ने

कई कार्य योजनाएँ मुक्ती और वक्त के चौखट में विकसित की है जो इन ज्यादा मुद्दों का विकास करेगी और पूरा करेगी। यह मुद्दे बाकी के साथ आते हैं, काउंटी की वेबसाइट को सुगम तरीके में बदल सके पहचानना और सुनिश्चित करना कि जो पहले की पहचानी सुविधा सैट निर्योग्यता लोगों को सुगम लगे। दुसरे सुविधा के सैट्स को चुनने का विकसित जरीया जो काउंटी से चलाया जाता है इन सब को बढ़ाने के लिए सुगमता, हिस्सेदार के साथ संपर्क स्थापित करना और उसे बरकरार रखना, तत्परता और शैक्षणिक साधनों को चारों ओर फैलाना, निर्योग्यता लोगों के लिए आपात संचार साधनों को बेहतर करने के लिए योजना ढूँढने का काम करना, प्रवेश और उनकी कार्यरत जरूरतें, काम करनेवाले गट को स्थापित करना जो हिस्सेदारों को साथ लेती है निर्योग्यता लोगों के लिए और प्रवेश और कार्यरत जरूरतें काम की योजना से मुक्ती दृष्टीचूक वक्त के ऊपर पाठ्यक्रम को कार्यान्वित करता है।

ए एफ एन संयोजन करनेवाला

निपटारा का हिस्सा होने के कारण काउंटी प्रवेश और कार्यरत जरूरतों को भाड़े पर लेती है। ए एफ एन संयोजक जो मुख्य काउंटी का एक कर्मचारी है जो लॉस एन्जिल्स काउंटी के आपातकाल योजनाओं को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है लॉस एन्जिल्स निर्योग्यता लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। ए एफ एन संयोजक प्रत्यक्ष तरीके से काम करता है और दूसरी संस्थाओं और उनके कार्यकर्ताओं से संयोजन करता है जो काउंटी के आपात योजनाओं के लिए जिम्मेदार है।

समाज का इनपुट

निर्योग्यता के विकास में और ए एफ एन संलग्नक में काउंटी इस के बारे में मत और विचार भाँगता है जो आज के निर्योग्यता के आधार पर हो और ए एफ एन संलग्नता लोगों से, यू. एस. के न्याय विभाग से प्लेनटीफ के स्लाहगारों से मतों को संयुक्त करते हैं। देश निर्योग्यता और ए एफ एन संलग्नक को प्रकाशित करते हैं लोगों के मत जानने के लिये और उनके विचार लेने के लिए वे लोगों के लिए सार्वजनिक सुनवाई भी रखते हैं।

अभी के आपातकाल प्रबंधक मंडल का हिस्सा होने के कारण वह ऑपरेशनल एरिया एडवाइजरी बोर्ड (ओ ए ए बी) होती है। जिसके सदस्य सरकारी साझीदार हैं (जैसे काउंटी, शहर, काउंटी में लोगों के क्षेत्राधिकारी) खास जिले जैसे सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्यप्रद और पानी के जिले, और गैर सरकारी आपात सेवा के साझीदार में समाज और विश्वास पर आधारित संस्था, समाज का हिस्सा होने के कारण ऑपरेशनल एरिया एडवाइजरी बोर्ड (ओ ए ए बी) के तीन स्थान होते हैं उन संस्थाओं के लिए जो शारीरिक, मानसिक और सजातिय निर्योग्यता का नेतृत्व करती है।

वहाँ ऑपरेशनल एरिया एडवाइजरी बोर्ड (ओ ए ए बी) का ए एफ एन दल है जो सरकारी और गैरसरकारी संस्थाओं का नेतृत्व करती है जिन्हे रुची है, वकालत के लिए और निर्योग्य लोगों को सेवाएँ प्रदान करती है। ऑपरेशनल एरिया एडवाइजरी बोर्ड (ओ ए ए बी) और ए एफ एन निर्योग्यता में काम जारी रखते हैं और ए एफ एन संलग्नक में और काम के कार्यान्वित योजना में।

अंत में, वहाँ कुछ विभाग काउंटी के बाहर के लिए चाहिए जो निर्योग्यता समाज को देखे जिसमें कम से कम 17 विशेष संस्थाएँ हैं, जो मर्यादित नहीं, प्रादेशिक रहनेवाले केंद्र, स्वतंत्र रहनेवाले केंद्र, निर्योग्यता की विशेष संस्थाएँ (जैसे अंधों का केलिफोर्निया कौंसिल और ग्रेटर लॉस एन्जिल्स का बधिरता शाखा) और बाकि निर्योग्यता संस्थाएँ।

निगरानी और देखरेख का वक्त

निपटारा के अंतर्गत काउंटी की कम से कम 6 वर्ष तक निगरानी की जाएगी इस वक्त के दौरान न्यायालय प्रवर्तन हेतु मुकद्दमे के क्षेत्राधिकार को रोके रखेगा । इस को ही देखरेख का वक्त कहते हैं।

काउंटी तीसरे दल को संस्था की देखरेख के लिए भाड़े पर लेंगे, जागतिक दृष्टया अल्पकालीन संघटन (जी वी सी) दोनों दलों से मानी होना चाहिए यह संघटन (जी वी सी) कार्यक्रमों की देखरेख की जिम्मेदारी लेगा, जिसमें कार्य योजना के कार्यान्वित करने पर काउंटी के विकास की कीमत जानी जाती है और काउंटी का इन कामों में विश्लेषण किया जाता है - काउंटी का कार्य निर्योग्य लोगों की जरूरतों को सफलता से देखता है और उनकी आपातकाल योजना को देखता है।

दावे का संकल्प

निपटारा सारे वर्ग के दावों को धोषात्मक और निषेधात्मक के लिए काउंटी के विरुद्ध में छोड़ देता है और उसके सहायक, सफलता कार निर्धारित करना और नेता। जो 14 जनवरी 2009 के शिकायत में कथित किया है। इन सारे मुद्दों के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में।

किसी भी प्लेनटीफ या वर्ग के सदस्य को कोई भी चेतावनी सूचक आराम निपटारा समझौता करारनामा देता नहीं है और कोई भी नुकसान का दवा जो वर्ग के सदस्य का हो वो छोड़ता नहीं।

वकीलों की फीस

वर्ग का प्रतिनिधित्व निर्योग्यता न्यायालयीन अधिकार केंद्र करता है। काउंटी वर्ग के केंद्र को \$1.225 मिलियन देने का मान्य करती है। मुकद्दमे के वक्त के दौरान जो भी कीमत हुई और जो वक्त खर्च हुआ और न्यायपूर्ण न्यायवादी के पैसों के लिए। काउंटी ने यह मानी किया है की वे वर्ग परीषद को \$75000 न्यायवादी फ़ीस में देंगे और इन कारणों के लिए कीमत देते है जैसे विकास का समालोचन को कार्यान्वित करने के लिए और कार्य योजना देखरेख के वक्त के दौरान। न्यायालय वर्ग परीषद को जो कीमत देनी है उसे मानी करेंगे।

करारनामे का न्यायपूर्ण व्यवहार

वर्ग परीषद यह नतीजे पर पहुँची कि इस निपटारा करारनामे मे जो भी शर्तें और स्थितियाँ हैं वह साफ़, कारण के लिए और वर्ग के रुचि में ही है। इस नतीजे पर पहुँचने में वर्ग परीषद ने निपटारा के फायदे भी देखे सोचे, इन मुद्दों के जारी मुकद्दमबाजी का संभव परिणाम और खर्चा और जारी मुकद्दमबाजी की लंबाई और संभव पुर्नविचार की प्रार्थना।

हस्तांतरण के लिए आपत्ति / विरोध

न्यायालय ने पहले निपटारा करारनामे को मान्यता दी है और इसकी सुनवाई 14 मई 2013 को माननीय कौंसूलो बी मार्शल के न्यायालयीन कमरे में सुभह 9 बजे रखी है। यू एस जिला न्यायालय केलिफोर्निया के केंद्रीय जिला 312 नॉर्थ स्पिंग स्ट्रीट, लॉस एन्जिल्स के लिए। CA 90012 निर्धारित करते है क्या यह निपटारा साफ़, कारणों के लिए है और अंत मे इसे मान्य करते है। आप को वर्ग सदस्य की तरह ध्यान देने की जरूरत नही आप को यह अधिकार है की आप इस सुनवाई को सुन सकते हो। इस सुनवाई की तारीख को न्यायालय बिना कोई सूचना पूरे वर्ग को दिये बदल सकती है। अगर आप कि इच्छा है कि सेवा सूची आए जिन्हें यहाँ हुए बदल के बारे में जानकारी मिले तो कृपया अपने आने की सूचना या न्यायालय के साथ विरोध दर्ज करे।

इस के इलावा, अगर आप इस निपटारा से असहमत हैं तो कोई भी वर्ग सदस्य ऊपर बताए गए निपटारा करारनामों की शर्तों का विरोध लिखित रूप में वर्ग के वकील के पास दे सकता है। वह इन सब दवारा दे सकता है --- नियमित या मशिन मेल, टेलिफोन दवारा अपने विरोध का संदेश छोड़ना, टी. टी.वाय. या विडीओ रिले सेवा और वर्ग के वकील से दिए गए टोल फ्री क्रमांक पर। अगर आपको विरोध करने की इच्छा है तो आपका आपत्ती क्र. अप्रैल 6, 2013 के बाद देना है। पाँच दिन में आए सारे विरोध वर्ग वकील को दे देंगे और न्यायालय में दर्ज किए जाएँगे। सिर्फ वही विरोध करनेवाले वर्ग सदस्य को अधिकार है की अगर वे अपने विरोध को

जाँचना चाहें तो इस न्यायपूर्ण व्यवहार के विरोध की सुनवाई में उपस्थित रह सके।

कृपया कोई भी विरोध यहाँ दर्ज करें --

वर्ग परिषद नाम प्लेनटीफ और निपटारा वर्ग

ध्यान दें :- सी ए एल आय ऍफ़ व लॉस एन्जिल्स निपटारा की काउंटी

डीसअबीलीटी राईट्स एडवोकेट्स

2001 सेंटर स्ट्रीट, 4थी मंजिल

बर्केली, सी ए - 94704

ई मेल - general@dralegal.org

टोल फ्री नं - (877) 603-4579

टी टी वाय : (510) 665-8716 या (877) 603-4578

अगर आप इस निपटारा का विरोध नहीं करते तो आपको कुछ भी लिखित दर्ज करने की या उपस्थित रहने की जरूरत नहीं।

अनिवार्य असर

यह प्रस्तावित निपटारा समझौता करारनामा निपटारा वर्ग के सारे सदस्यों को देखरेख वक्त के दौरान बाँध के रखेगा अगर उसे न्यायालय से अंतिम मान्यता मिले इससे कोई भी निपटारा वर्ग का सदस्य जो निपटारा समझौता करारनामे की शर्तों के लिए न्यायपूर्ण छूट जाँचना चाहता है या निपटारा के दावों के लिए कठगरे में लाया जा सकता है।

आगे की जानकारी

मुकद्दमा और निपटारा की शर्तों का सिर्फ आशय सूचना में है। निपटारा की अधिक जानकारी और निपटारा समझौता करारनामे की प्रति नीचे दिए गए पते पर वर्ग परीषद से मिल सकता है।

डीसएबीलीटी राईट्स एडवोकेट्स (निर्योग्यता अधिकार वकील)

ए टी टी एन :शोना एल पाक्स
2001 सेंटर स्ट्रीट, 4थी मंजिल
बर्केली, सी ए - 94704
510-665-8644 (वाईस)
510-665-8716 (टी टी वाय)
ई मेल - sparks@dralegal.org या general@dralegal.org

और वर्ग परीषद के वेब साईट पर जाएँ : www.dralegal.org या
www.disabilityrightslegalcenter.org

या नीचे दिए गए क्लर्क के कार्यालय पते पर इस मुकद्दमे की सार्वजनिक फाईल को:

युनायटेड जिले न्यायालय के क्लर्क
सेंट्रल डीस्ट्रीक्ट ऑफ़ कैलिफोर्निया
312 नॉर्थ स्प्रींग स्ट्रीट
लॉस एन्जिल्स, CA 90012

रेफरन्स: *Communities Actively Living Independent and Free, et al. v
City and County of Los Angeles*, Case No. CV 09-0287 CBM (RZx)

इस सूचना की सुगम विकल्प साँचे में प्रतियाँ पाने के लिए कृपया ऊपर दिए गए वर्ग परीषद से
करे।